Regarding increase in number of Therapy Sessions for children with autism and make provision for

Care Giver in severe cases of autism - laid

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की फाइल संख्या एस.11030/86/2022-ईएचएस के अंतर्गत दिनांक 01-05-2023 को औटिज्म के संबंध में सीजीएचएस और सीएस (एमए) के तहत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। किन्तु उक्त दिशानिर्देश में जो थेरेपी की सप्ताहवार संख्या निर्धारित की गई है वो बहुत अस्पष्ट है। यदि हम उसी आदेश को आधार माने तो उसके अनुसार प्रत्येक सप्ताह में ओक्युपेशनल थैरेपी, स्पीच थेरेपी, एबीए थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन आदि के लिए, तथा जैसा भी केस हो, के लिए प्रत्येक सप्ताह में माइल्ड टू मोडरेट औटिज्म केस में न्यूनतम सत्र 7-11 सत्र और सीवीयर औटिज्म केस में न्यूनतम 12-21 सत्र अधिकतम थेरेपी सत्र की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि जैसा कि मंत्रालय द्वारा एक सप्ताह में सत्रों की संख्या सुझाई गई है, उसे अधिकतम 6 या 7 सत्र तक निर्धारित न करके सत्रों की संख्या माइल्ड टू मोडरेट औटिज्म केस में न्यूनतम सत्र 7-11 सत्र और सीवीयर औटिज्म केस में न्यूनतम 12-21 सत्र अधिकतम थेरेपी सत्र की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है।

इन को सीखने में बहुत कठिनाई होती है। एक milestone को प्राप्त करने में ही इन्हें काफी समय लग जाता है। मैंने ऐसे बच्चों को अपनी आंखो से देखा है। ये बच्चे भूख-प्यास, लेटरीन-बाथरूम, यहां तक कि उन्हें चोट भी लग जाती है तो वे इसको बता नहीं पाते! सीवीयर औटिज्म के मामले में तो ये स्थिति और भी दयनीय होती है। ये बच्चे दूसरों पर पूरी तरह आश्रित होते हैं। इन्हें 24 घंटे देखरेख की आवश्यकता होती है। इन बच्चों के माता-पिता की मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत ही तंग होती है, हम उनके कष्टों को महसूस नहीं कर सकते।

सच तो ये है कि इन बच्चों के माता पिता सामान्य जीवन नहीं जी सकते। वे केवल अपने बच्चे में ही लगे रहते हैं। उनको थैरेपी सेंटर लाना ले जाना आदि। कोई भी थेरेपी सत्र 600 रुपए प्रति सत्र से कम नहीं होती। ये 600 रुपए से 1000 रुपए तक होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि औटिज्म के सीवियर मामले में कम से कम सीवियर केस में;-

थेरेपी सत्रों को सप्ताहवार बढ़ाकर, (स्पीच 6 दिन, ओटी 6 दिन, स्पेशल एजुकेशन 6 दिन, एबीए-3 दिन) कुल 21 दिन की जाए। (उक्त आदेश में भी यह व्यवस्था की गई है किन्तु इसको क्यूमूलेटिव करके 7 तक सीमित कर दिया गया जो कि असंगत है।

यह भी निवेदन है कि प्रत्येक थेरेपी सत्र के लिए 500 रुपए निर्धारित किया जाए।

औटिज्म के सीवियर मामले में बच्चे की केयर के लिए एक केयर गिवर की आवश्यकता भी है। अत: सरकार से यह भी अनुरोध है कि सीवियर औटिज्म के मामले में CAREGIVER का प्रावधान भी किया जाए और इसके लिए एक तय राशि निश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त निवेदन है कि इन थेरेपीज को बीमा में शामिल किया जाए।